न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 122/2024

अनवान : –

1. लियाकत अली पुत्र उमरदीन जाति कायमखानी मुसलमान तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. अमीनू दीन पुत्र उमरदीन जाति कायमखानी मुसलमान तहसील नोहर।
2. बलकिश पुत्री उमरदीन जाति कायमखानी मुसलमान तहसील नोहर।
3. जुले खां पुत्री उमरदीन जाति कायमखानी मुसलमान तहसील नोहर।
4. रजिया बानो पुत्री उमरदीन जाति कायमखानी मुसलमान तहसील नोहर।
5. जकिया पुत्री उमरदीन जाति कायमखानी मुसलमान तहसील नोहर।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक: 12/03/24

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा चक 1 एनएचआर–बी तहसील नोहर के खाता संख्या 25/24 की कुल 1.3900 हैक्ट भूमि वादी के पिता उमरदीन पुत्र रूकनदीन के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में उमरदीन पुत्र रूकनदीन के नाम दर्ज है जो कि वादी का पिता है उमरदीन पुत्र रूकनदीन का देहान्त हो चुका है उमरदीन पुत्र रूकनदीन के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी स0 1 ता 5 है जो उमरदीन पुत्र रूकनदीन के नाम दर्ज भूमि को अपने हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है। वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 मुस्लिम विधि से शासित है मुस्लिम विधि के अनुसार वाद भूमि में अपना हक व हिस्सा निर्धारित करवा पाने के अधिकारी है एवं मुस्लिम विधि के अनुसार पुरूष का 2/3 हिस्सा व महिला सदस्य 1/3 हिस्से का उत्तराधिकारी है इसलिए रोही मौजा चक 1 एनएचआर–बी तहसील नोहर के खाता संख्या 25/24 की कुल 1.3900 हैक्ट भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 बहिब 2/3 हिस्सा का एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 बहिब 1/3 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार है। इसी अनुसार वादी न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे ... कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:33:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 5 ने वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 6 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी रोही मौजा मुन्सरी खाता संख्या 25/24, मृत्यु प्रमाण पत्र उमरदीन व शपथ पत्र बाबत सदस्य आदि दस्तावेज पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में उमरदीन पुत्र रूकनदीन के नाम दर्ज है जो कि वादी का पिता है उमरदीन पुत्र रूकनदीन का देहान्त हो चुका है उमरदीन पुत्र रूकनदीन के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी स0 1 ता 5 है जो उमरदीन पुत्र रूकनदीन के नाम दर्ज भूमि को अपने हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है। वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 मुस्लिम विधि से शासित है मुस्लिम विधि के अनुसार वाद भूमि में अपना हक व हिस्सा निर्धारित करवा पाने के अधिकारी है एवं मुस्लिम विधि के अनुसार पुरूष का 2/3 हिस्सा व महिला सदस्य 1/3 हिस्से का उत्तराधिकारी है इसलिए रोही मौजा चक 1 एनएचआर–बी तहसील नोहर के खाता संख्या 25/24 की कुल 1.3900 हैक्ट भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 बहिब 2/3 हिस्सा का एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 बहिब 1/3 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार है। इसी अनुसार वादी न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई ऐतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड अनुसार रोही मौजा चक 1 एनएचआर–बी तहसील नोहर के खाता संख्या 25[illegible] भूमि वादी के पिता उमरदीन पुत्र रूकनदीन के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उभयपक्ष ने उक्त वाद भूमि हिन्दु परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक कृषि भूमि होना जाहिर किया है। वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं सजरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:33:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

खानदान के अनुसार उमरदीन के अन्य कोई वारिस नही होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 को कोई एतराज नही है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 1 एनएचआर–बी तहसील नोहर के खाता संख्या 25/24 की कुल 1.3900 हैक्ट भूमि वादी के पिता उमरदीन पुत्र रूकनदीन के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में उमरदीन पुत्र रूकनदीन का नाम कलमजन किया जाकर 2/3 हिस्सा भूमि का वादी व प्रतिवादी संख्या 1 को बहिब के तथा 1/3 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 12/03/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:33:07 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 122/2024

अनवान : –

1. लियाकत अली पुत्र उमरदीन जाति कायमखानी मुसलमान तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. अमीनू दीन पुत्र उमरदीन जाति कायमखानी मुसलमान तहसील नोहर।
2. बलकिश पुत्री उमरदीन जाति कायमखानी मुसलमान तहसील नोहर।
3. जुले खां पुत्री उमरदीन जाति कायमखानी मुसलमान तहसील नोहर।
4. रजिया बानो पुत्री उमरदीन जाति कायमखानी मुसलमान तहसील नोहर।
5. जकिया पुत्री उमरदीन जाति कायमखानी मुसलमान तहसील नोहर।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 122 सन 2024 निर्णय दिनांक –12/03/24

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री नरेन्द्र किशोर जोशी एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 1 एनएचआर–बी तहसील नोहर के खाता संख्या 25/24 की कुल 1.3900 हैक्ट भूमि वादी के पिता उमरदीन पुत्र रूकनदीन के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में उमरदीन पुत्र रूकनदीन का नाम कलमजन किया जाकर 2/3 हिस्सा भूमि का वादी व प्रतिवादी संख्या 1 को बहिब के तथा 1/3 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 12/03/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:33:07 IST
Reason: SelfAttested